

काले के कर अवर सि जे रसिन उति-मं-उजा।  
 कि ओर से ओर जवला पेश। वही किय उजा-कहा उति-  
 मं-उजा। के जवला नद कि पाले हो जसे अशिन  
 आरवारी पत्रावली दिनांक 19/06/19 जे पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक इण्डनायक  
 (फास्ट ट्रेक) फलोदी

19/06/19

बाबला पत्र हुइ। आज श्राभान A.G.M.  
 -S.P.M. साहब रोरे/अवकाश वर ।  
 वेही इलतवा की जाकर पत्रावली जारी  
 03/07/19 को पेश हो।

31/7/19 पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के  
 कारण पेशी इलतवा की जाकर पत्रावली दिनांक 23/7/19  
 को पेश हो।

23/7/19 उन्नयपत्र अधिकारी उप। प्रतिवादी अधिकारी द्वारा प्रेषित  
 पत्र 015 07R, व संपठित द्वारा 151 CPC पेश किया।  
 जो शासित मिसल किया गया। जसे जवला प्रेषित पत्र  
 015 07R, व संपठित द्वारा 151 CPC पत्रावली दिनांक  
 30/7/19 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक इण्डनायक  
 (फास्ट ट्रेक) फलोदी

30/7/19 उन्नयपत्र अधिकारी उप। प्रतिवादी अधिकारी ने  
 प्रेषित पत्र 015 07R, CPC पर अपनी काद  
 सुनाई। जसे काद प्रतिवादी अधिकारी  
 ने बताया कि वादी द्वारा प्रस्तुत काद में वादी  
 द्वारा काद में कोई फिस नही दी गई जो की  
 विशि अनुसार आवश्यक हो तथा काद का  
 प्रस्तुत काद एक प्रति में ही पेश किया गया

रा.मु.जो.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

है। जबकी विधि अनुसार दो प्रतियों में प्रवा  
प्रस्तुत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।  
वादी का वाद विधि के आवश्यक प्रावधानों की  
पूर्ति किए बिना चलने का विधि नहीं है अतः

प्राथमिक पत्र 05/07/11 व संपठित धारा 151 CPC  
को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज फरमाया

वादी अधिवक्ता द्वारा प्राथमिक पत्र 05/07/11  
व संपठित धारा 151 CPC का जवाब न देकर सिद्धि  
बाधम करना चाही। दौखने बाधम वादी अधिवक्ता  
ने बताया कि वादी का उक्त वाद राजस्व कैम्प  
में प्रस्तुत किया गया था यदि माननीय न्यायालय  
आदेश करे तो वादी अब ~~की~~ वाद की द्वितीय प्रति  
व कोई फिस पेश करने को तैयार है अतः

माननीय न्यायालय प्रतिवादी के प्राथमिक पत्र 05/07/11  
CPC को खारिज कर वादी के वाद में जो विधि  
के आवश्यक प्रावधानों की कमी है उनकी पूर्ति  
करने का अवसर प्रदान करे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बाधम सुनी  
गई। बाधम पर भनन किया व जवाबरी का  
अवलोकन किया गया। वाद भनन व अवलोकन  
प्रतिवादी का प्राथमिक पत्र 05/07/11 व संपठित  
धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का  
वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली जारी खारिज फैसला सुनाए  
देकर नम्बर से एक फत घोकर दक्षिण  
वफला है।